भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4004

17.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना का कार्यान्वयन

4004. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात और तेलंगाना तथा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित सभी राज्यों, के लिए अनुमोदित/संस्वीकृत/उपलब्ध कराई गई बसों की संख्या का राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके जिला-वार वितरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत आवंटित की गई वित्तीय सहायता की कुल राशि सहित राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है;

(घ) संस्वीकृत बसों की सुपुर्दगी और प्रचालन शुरू करने की समय-सीमा और परिचालन सहायता की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दाहोद सहित जनजातीय जिलों में हरित सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) भुगतान सुरक्षा तंत्र के अंतर्गत राज्य परिवहन उपक्रमों की वित्तीय स्थिरता को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र स्कीम दिनांक 28.10.2024 को अधिसूचित की गई थी। इसके कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

i. स्कीम के दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रकाशित कर दी गई हैं।
ii. 12.03.2026 की स्थिति के अनुसार, 19 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने भारतीय रिजर्व बैंक को प्रत्यक्ष विकलन अधिदेश (डीडीएम) प्रस्तुत कर दिया है।
iii. 28.02.2026 तक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम-ईबस सेवा स्कीम के अंतर्गत 6,228 बसों की निविदाएं संपन्न हो चुकी हैं। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा 4,720 बसों के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी किए जा चुके हैं।
iv. पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत 10,900 बसों की निविदाएं संपन्न हो चुकी हैं और 2,900 बसों के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।
v. वित्त वर्ष 2025-26 में पीएसएम निधि की स्थापना हेतु प्रथम किस्त के रूप में सीईएसएल को 500 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।
vi. पीएम ई-बस सेवा और पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत बसों की सूची अनुलग्नक-1 में दी गई है।

(ग): स्कीम के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक अवसंरचना प्रस्तावों (बिहाइंड-द-मीटर विद्युत अवसंरचना और सिविल डिपो अवसंरचना) के लिए स्वीकृत और व्यय की गई कुल राशि क्रमशः 1254.38 करोड़ रुपए और 483.70 करोड़ रुपए है। स्वीकृत राशि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-2 में दिया गया है।

(घ): तैनाती की समय-सीमा प्रत्येक निविदा के अनुसार भिन्न होती है। हालांकि, आमतौर पर सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण और ओईएम के बीच रियायत समझौते पर हस्ताक्षर होने की तिथि से बसों की तैनाती की अवधि दो वर्ष निर्धारित है। पीएसएम स्कीम के अंतर्गत तैनात प्रत्येक बस के लिए 12 वर्षों की अवधि तक भुगतान सुरक्षा कवरेज प्रदान की जाती है।

(ङ): दाहोद सहित जनजातीय जिलों में हरित सार्वजनिक परिवहन के विस्तार के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

(च): यह स्कीम राज्यों को संवितरित राशि को लागू विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के साथ चुकाने के लिए 90 दिनों की अवधि प्रदान करती है, जिससे भुगतान सुरक्षा तंत्र के अंतर्गत राज्य परिवहन उपक्रमों की वित्तीय स्थिरता सुदृढ़ होती है।

*****

अनुलग्नक-1

क्र.सं.	राज्य	शहर	स्वीकृत बसें
1	गुजरात	सूरत	600
		अहमदाबाद	1,200
2	कर्णाटक	बेंगलुरु	4,500
3	महाराष्ट्र	मुंबई	1,500
		पुणे	1,000
4	तेलंगाना	हैदराबाद	2,200
5	दिल्ली	दिल्ली	2,800
क	**कुल (पीएम ई-ड्राइव)**		**13,800**
क्र.सं.	**राज्य**	**शहर**	**स्वीकृत बसें**
1	आंध्र प्रदेश	अमरावती	50
2		अनंतपुर	50
3		गुंटूर	100
4		कड़पा	50
5		काकीनाडा	50
6		कुरनूल	50
7		नेल्लोर	100
8		राजमुंदरी	50
9		तिरुपति	350
10		विजयवाड़ा	100
11		विशाखापत्तनम	100
12	गुजरात	भावनगर	100
13		गांधीधाम	50
14		नवसारी	50
15		गांधीनगर	100
16		जामनगर	50
17		जूनागढ़	50
18		राजकोट	100
19		वडोदरा	250
20	मध्य प्रदेश	भोपाल	195
21		इंदौर	270
22		जबलपुर	200
23		सागर	32
24		ग्वालियर	100

25		सतना	20
26		देवास	55
27		उज्जैन	100
28	महाराष्ट्र	अहिल्यानगर	40
29		अकोला	50
30		अमरावती	50
31		छत्रपति संभाजीनगर	100
32		भिवंडी	100
33		चंद्रपुर	50
34		धुले	28
35		इचलकरंजी	25
36		जलगांव	50
37		कल्याण डोंबिवली	100
38		कोल्हापुर	100
39		लातूर	50
40		मीरा भाईंदर	100
41		नागपुर	150
42		नासिक	100
43		सांगली	50
44		सोलापुर	100
45		ठाणे	100
46		उल्हासनगर	100
47		वसई विरार सिटी	100
48		मालेगांव	26
49		परभणी	40
50	मेघालय	शिलांग	55
51	ओडिशा	संबलपुर	50
52		बरहामपुर	50
53		भुवनेश्वर	100
54		राउरकेला	100
55		कटक	100
56	पुदुचेरी	पुडुचेरी	75

57	राजस्थान	अजमेर	100
58		अलवर	100
59		भीलवाड़ा	50
60		बीकानेर	125
61		जयपुर	450
62		जोधपुर	125
63		कोटा	100
64		उदयपुर	50
65		सीकर	50
66	उत्तराखंड	देहरादून	100
67		हरिद्वार	37
68	असम	गुवाहाटी	100
69	चंडीगढ़	चंडीगढ़	428
70	हरियाणा	गुरूग्राम	100
71		फरीदाबाद	100
72		हिसार	50
73		करनाल	50
74		पानीपत	50
75		रोहतक	50
76		यमुनानगर	50
77	बिहार	भागलपुर	50
78		दरभंगा	50
79		गया	50
80		मुज़फ़्फ़रपुर	50
81		पटना	150
82		पूर्णिया	50
83	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	50
84	गोवा	पणजी	50
85	हिमाचल प्रदेश	शिमला	25
86		धर्मशाला	25
87	छत्तीसगढ़	दुर्ग	50
88		रायपुर	100
89		कोरबा	40
90		बिलासपुर	50

91	कर्णाटक	बेलगागावी	100
92		बेल्लारी	50
93		दावनगेरे	50
94		धारवाड़	100
95		कलबुर्गी	100
96		मंगलुरु	100
97		मैसूर	100
98		शिमोगा	50
99		तुमकुरु	50
100		विजयपुरा	50
101	पंजाब	अमृतसर	100
102		लुधियाना	100
103		पटियाला	50
104		जालंधर	97
105		साहिबजादा अजीत सिंह नगर	100
106	केरल	केरल	293
107	तेलंगाना	निजामाबाद	51
108		वारंगल	100
109	मणिपुर	इंफाल	50
110	अंडमान और निकोबार	अंडमान और निकोबार	45
111	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	100
112		जम्मू	100
113	लद्दाख	लद्दाख	48
114	दादरा और नगर हवेली, दमण और डीआईयू	दादरा और नगर हवेली, दमण और डीआईयू	50
ख	**कुल (पीएम-ई बस सेवा)**		**10,000**
ग	**स्कीम की कुल बसें (क+ख)**		**23,800**

अनुलग्नक-2

#	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)			व्यय की गई राशि (करोड़ रु. में)		
		बीटीएम	**सिविल**	**कुल**	**बीटीएम**	**सिविल**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	30.18	65.41	95.59	0	0	0
2	असम	3.84	12.81	16.65	3.33	7.52	10.85
3	बिहार	79.25	33.21	112.46	79.25	8.3	87.55
4	चंडीगढ़	11.87	0.00	11.87	11.87	0	11.87
5	छत्तीसगढ	30.36	20.19	50.55	25.09	6.07	31.16
6	गुजरात	35.69	40.61	76.30	19.88	9.06	28.94
7	हरियाणा	13.44	8.69	22.13	0	0	0
8	जम्मू और कश्मीर	14.28	28.09	42.37	0	0	0
9	मध्य प्रदेश	55.01	36.39	91.40	1.32	0	1.32
10	महाराष्ट्र	228.21	142.28	370.49	167.65	32.53	200.18
11	मेघालय	8.95	9.00	17.95	0	0	0
12	ओडिशा	54.11	34.05	88.16	39.91	7.96	47.87
13	पुदुचेरी	8.15	0.00	8.15	0	0	0
14	पंजाब	22.90	20.87	43.77	14.27	5.23	19.5
15	राजस्थान	60.08	42.03	102.11	35.84	8.62	44.46
16	उत्तराखंड	12.02	15.36	27.38	0	0	0
17	कर्णाटक	37.82	39.23	77.05	0	0	0
	कुल	**706.16**	**548.22**	**1254.38**	**398.4**	**85.29**	**483.7**